Upload on website
On 01/4/2022

संख्या–95 / XXIV–B–5 / 2022–03(01) / 2020

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामे,

1. महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा /
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5

देहरादून : दिनांक : 31 मार्च, 2022

विषयः राज्य के समस्त शिक्षा बोर्डों के समस्त शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त) / निजी शिक्षण संस्थानों) में पठन–पाठन भौतिक रूप से ऑफलाईन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड–19 के संक्रमण के प्रभावों में हो रही कमी तथा छात्र–छात्राओं के शैक्षिक हितों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के अन्तर्गत संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त) / निजी शिक्षण संस्थान) की कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं में वर्तमान में जारी शिक्षण कार्य ऑनलाईन / ऑफलाईन (हाईब्रिड मोड) को समाप्त करते हुये समस्त कक्षाओं का शिक्षण कार्य भौतिक रूप (ऑफलाईन) से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के समस्त शिक्षा बोर्डों / संस्थाओं के समस्त कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालन के दौरान कोविड–19 (डेल्टा / ओमिकान वैरिएंट) के सम्बन्ध में भारत सरकार आई0सी0एम0आर0 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत ''मानक संचालन प्रकिया'' का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इसके अतिरिक्त विद्यालयों के भौतिक रूप (ऑफलाईन) से प्रारम्भ होने की स्थिति में आगामी शैक्षिक सत्र (अप्रैल 2022– मार्च 2023) से विद्यालयों द्वारा शिक्षण शुल्क के साथ–साथ नियमानुसार अनुमन्य अन्य शुल्क भी लिये जायेंगे।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या–95 (1) / XXIV–B–5 / 2022–03(1)2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. अपर निदेशक, बेसिक / माध्यमिक, गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
8. राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड, नैनीताल।
10. सचिव, सी0बी0एस0ई, बोर्ड, नई दिल्ली।
11. सचिव, सी0आई0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।
12. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई, कौलागढ रोड, देहरादून।
14. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीप्ति सिंह)
अपर सचिव।